1193/1362 रकबा 0.71 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 से संबंधित है। राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नंबर 1193/1362 किस्म बारानी 2 कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ/12 (सी)/13/288 दिनांक 27.09.2013 द्वारा सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। इसलिए वर्तमान रूवरूप में पेश प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 23.12.1964 को माना वल्द मंगला भांबी को आवंटित हुई थी, जिस पर 15.04.1970 को गैर खातेदारी के अधिकार प्रार्थीगण के पूर्वजों को दिये गये थे। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा–काश्त है। उक्त भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण को गलत रूप से आवंटित कर दी गयी। खसरा नं. 964 से नवीन खसरा नं. 1193/1362 की नक्शे में गलत तरमीम करके उसे अप्रार्थी सं. 01 के नाम कर दी गयी तथा इस खसरा नं. का अग्रिम भाग प्रार्थीगण के कब्जे में गलत रूप से दर्शाया गया है। इस गलत तरमीम के आधार पर अजमेर विकास प्राधिकरण व तहसीलदार पुष्कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद करवाया जावे। अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार पुष्कर ने निषेधाज्ञा के पाबंद करवाया जावे। अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार पुष्कर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि थी जिसे श्रीमान कलक्टर के आदेश से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, अजमेर विकास प्राधिकरण के जवाब, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 1193/1362 भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने के कारण एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:18 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
पुष्कर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 09 / 2020

दायर दिनांक – 29.07.2020

निर्णय दिनांक – 12.08.2022

जीसीएमएस नं0 – 2020 / 00035

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रोहित कुमार निवासी 70 / 120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर जरिये अधिकार पत्रधारी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवदयाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 77 / 120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।		1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. श्री रामेश्वर पुत्र श्री प्रताप जाति खटीक निवासी 77 / 120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।		2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. श्री पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम कानस तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के खसरा नंबरान 1193, 1193 / 1362 भूमि में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में दखलंदाजी व मुदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का प्रयास करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 02 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 01 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर उल्लेख किया कि वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम कानस तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:18 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर